केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सं./No. E.96181/CARA-EA043/9/2021

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांक/Date 15-04-2024....

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

यह दिनांक 28-03-2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है । केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर बच्चों के पंजीकरण को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है:
This is in continuation to the Office Memorandum of even number dated 28-03-2024. The registration of children on CARINGS portal has been modified with the following provisions:

a) बच्चों को केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर पाँच श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन और अनफ़िट माता–पिता/संरक्षक) में पंजीकृत किया जाएगा।
The children will be registered on CARINGS portal in FIVE categories (Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians).

b) सभी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को आमतौर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत दत्तक-ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है। ये बच्चे दत्तक-ग्रहण के पात्र हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा उन्हें 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने के अनुसार किया जाएगा।
All Orphan, Abandoned or Surrendered children are generally rehabilitated through adoption as per the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021) and Adoption Regulations, 2022. Their adoptability in terms of 'Legally Free for Adoption (LFA)', will be ascertained by Child Welfare Committee (CWC).

c) जहां तक 'नो विज़िटेशन' और 'अनफ़िट गार्डियन्स' की श्रेणी के तहत पंजीकृत बच्चों का संबंध है, तो वे मुख्य रूप से 'फॉस्टर केयर' के लिए संभावित मामले होंगे जिनके लिए केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर प्रावधान किया गया है । इस प्रकार के बच्चों को जब एक बार विधिक रूप से मुक्त (LFA) घोषित कर दिया जाता है, तो उनका स्थायी पुनर्वास दत्तक-ग्रहण के माध्यम से किया जाता है ।
As far as children registered under the category of 'No Visitation' and 'Unfit Guardians' are concerned, they will primarily be potential cases for 'foster care' as provisioned on CARINGS portal. Once such children are declared legally free, their permanent rehabilitation can be facilitated through adoption.

d) यदि उपरोक्त पाँच श्रेणियों के तहत बच्चों का कोई दावेदार नहीं पाया जाता है, तो बच्चों को 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने की प्रक्रिया संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से शीघ्रता से पूरी की जाएगी ।
In cases where children under FIVE categories are found to have no claimants, the process for 'Legally Free for Adoption (LFA)' may be completed expeditiously through the Child Welfare Committee (CWC) concerned.

Contd...2/-

e) यदि ऐसा प्रतीत हो कि इन पाँच श्रेणियों के तहत बच्चे का श्रेणी-निर्धारण और पंजीकरण करने में समय लगेगा, तो उस परिस्थिति में बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। तत्पश्चात, संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, बच्चे की सही स्थिति निर्धारित की जा सकती है और बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी से उपरोक्त पाँच श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है (दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के अध्याय V को देखें)। तदनुसार, जिला स्तर के अधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार **बच्चे की श्रेणी** बदल सकते हैं:

The moment it is realised that it will take time to register the child in five categories; the child may be registered in the category of 'OTHER'. Further, based on the assessment by the concerned Child Welfare Committee (CWC) (refer Chapter V of JJ Model Rules 2022), the exact status of the child may be determined and child may be shifted from OTHER category to any of the five categories. Accordingly, the district authorities can change the **category of child**, as per the procedure given below :

DCPU द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by DCPU :

DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Registered Children Details → Details of Registered CCI Children (for updation)

SAA द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by SAA :

SAA Portal → Children Registration → Children Updation Details → Children Updation Details (for updation)

2) यदि CARINGS पोर्टल पर बच्चों की पंजीकरण-प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें। संदर्भ के लिए बच्चों की पाँच श्रेणियों की परिभाषाएँ संलग्न हैं ।

If any technical issue arises during the registration process of children on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screen shot to carahdesk.wcd@nic.in . The definitions of five categories of children are enclosed for reference.

3) कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है, उसका दोबारा पंजीकरण न किया जाए । Please ensure that a child, who is already registered on CARINGS Portal, should not be registered again.

(डॉ. जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

संलग्न: ऊपर वर्णित

Enclosed: As above.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी नोडल अधिकारी/ All Nodal Officers at State/UT level
2. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agencies (SARAs)
3. जिला बाल संरक्षण इकाई/ District Child Protection Units (DCPUs)
4. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)
5. बाल देखरेख संस्था/ Child Care Institutions (CCIs)

Annexure

परिभाषाएँ / Definitions

'अनाथ (Orphan)' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है : (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है । [धारा 2 (42)]

'Orphan' means a child – (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child; [Section 2(42)]

परित्यक्त (Abandoned) बालक' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जाँच के बाद समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1)]

'Abandoned' means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee (Child Welfare Committee) after due inquiry; [Section 2(1)]

'अभ्यर्पित (Surrender) बच्चा' - वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति (बाल कल्याण समिति) को त्याग दिया गया है तथा समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है। [धारा 2 (60)]

'Surrendered' means a child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee (Child Welfare Committee), on account of physical, emotional, and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee (Child Welfare Committee); [Section 2(60)]

'नो विज़िटेशन' से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिनके माता–पिता, संरक्षक या रिश्तेदार पिछले एक वर्ष या उससे अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं।

'No Visitation' - Children with no visitation means all such cases where there is no visitation made by the child's parent, guardian or relative to meet the child in the last one year or more shall be classified under this category;

'अनफ़िट गार्डियन्स' से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिनके माता–पिता या संरक्षक बच्चे का पालन–पोषण करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, मादक पदार्थों (ड्रग्स) का या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें अपनी स्वयं की देखभाल करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से अक्षम हैं आदि।

'Unfit Guardians' - Children having unfit guardian means whose parent or guardian is unable or unwilling for parenting, indulging in substance (drug) abuse, abuse or alcohol, known to have abused or neglected the child, having criminal record, in need of care themselves, mentally unsound etc. Children of all such parents shall be classified under this category.

'अन्य' - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 2 (14) के अंतर्गत आने वाले बच्चे।

'Other' – Children covered under the section 2 (14) of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021).